

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
क्रमांक:राम/प-2/1/4/रातस/तह/2018-19/5076

दिनांक : 31/5/19


—: आदेश :—

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 29-ए के उपनियम 4 के अन्तर्गत तहसीलदार पद की वर्ष 2016-17 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 23.1.17 को किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री श्रवण सिंह राठौड/जोरावर सिंह के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत जांच प्रकरण संख्या 55/2015 जिला स्तर जिसमें आरोप पत्र दिनांक 16.6.15 को जारी किया गया, विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनके पदोन्नति प्रकरण को सीलड कवर लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

श्री राठौड के विरुद्ध विचाराधीन उक्त जांच प्रकरण में जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ ने आदेश दिनांक 6.2.18 द्वारा परिनिदा के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष अपील किये जाने पर आदेश दिनांक 8.5.18 द्वारा दण्डादेश दिनांक 6.2.18 को निरस्त कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप श्री राठौड वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार पद मौलिक आधार पर पदोन्नति के पात्र हो गये हैं। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4.6.2008 के बिन्दु संख्या 12 के प्रावधानों के तहत श्री राठौड का सीलड कवर लिफाफा खोला जाकर, इन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 23.1.2017 की पालना में वर्ष 2016-17 की दिनांक 01.04.2016 को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार पद पर मौलिक आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री श्रवण सिंह राठौड/जोरावर सिंह की वरिष्ठता का निर्धारण तहसीलदारों की दिनांक 1.4.2017 की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्र.सं.-185 पर अंकित अस्मिता योगी/सूर्यकुमार एवं क्र.सं. 186 पर अंकित अपर्णा शर्मा/कृष्णावतार के मध्य क्र.सं. 185-ए पर तथा दिनांक 1.4.2018 की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्र.सं.-175 पर अंकित अस्मिता योगी/सूर्यकुमार एवं क्र.सं. 176 पर अंकित अपर्णा शर्मा/कृष्णावतार के मध्य क्र.सं. 175-ए पर एतद्वारा निर्धारण किया जाता है।

आदेशानुसार,


(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक


राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक : सम/5077-85

दिनांक 31/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है5-

- 1- निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 2- जिला कलेक्टर उदयपुर।
- 3- प्रभारी अधिकारी, (वि.जांच/गोपनीय/भू-अभिलेख/कम्प्युटर), राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 4- श्री श्रवण सिंह राठौड तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
- 5- पत्रावली संख्या - - - - - में संधारणार्थ।
- 6- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका।


(सीमा शर्मा)

उप-निबन्धक (रातस)

